Working Paper No. 54

ग्रामीण नियोजन में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका

वाई० पी० सिंह

गिरि इन्स्टीट्यूट आफ डेवलपमेन्ट स्टडीज
बी-42, निरालानगर, लखनऊ 226007

मई 1984

Working Paper No.54

ग्रामीण नियोजन में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका

वाई0पी0 सिंह [xx]

ग्रामीण नियोजन की आवश्यकता और अर्थ

पैंतीस वर्षों से हमारे देश के नियोजन का मुख्य आधार मैक्रो स्तरीय है । इसमें योजनाएं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा केन्द्र और राज्य स्तर पर तैयार की जाती रही हैं । सरकारी तन्त्र इन योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है । लगभग सत्तर करोड़ की आबादी वाले देश की योजनाएं, जिसमें विभिन्न विषमताएं हैं, केन्द्र व राज्य स्तर पर बैठकर तैयार करना अब बुद्धिमता का प्रतीक नहीं है । सरकारी तन्त्र भी विभिन्न बुराइयों की पकड़ में है जिसके कारण योजनाओं का लाभ आंशिक रूप से ही जनता को मिल पा रहा है । योजनाओं में जनता की आवश्यकता, रूचि व सहयोग को भी महत्ता नहीं दी गयी है । सरकारी कार्यक्रम मान लेने के कारण जनता न तो उनमें सहयोग देती है और न ही सरकारी तन्त्र उनको सहयोग देने के लिए उत्साहित ही करता है । स्थानीय संस्थाओं से भी सहयोग नहीं लिया जाता है जिसके कारण योजनाओं पर अरबों रूपया खर्च होने के बाद भी जनता उससे आंशिक रूप से ही लाभान्वित हो पायी है । देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब आवश्यकता है गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाय । इसके लिए क्षेत्रीय नियोजन के महत्त्व को समझना होगा ।

माइक्रो स्तरीय नियोजन से तात्पर्य है कि योजनाएं छोटे या क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों और संस्थाओं के सहयोग से उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर तैयार की जायें । इस प्रकार के नियोजन के लिए गांव को आदर्श इकाई माना जा सकता है । जनता के द्वारा गांव स्तर पर अपनी योजनाएं बनाकर जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर समन्वित की जा सकती हैं ।

[xx] गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ ।

दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि गांव के सर्वांगीर्ण विकास के लिए "ग्राम योजना" तैयार की जाय । योजनाओं के निर्माण में प्रत्येक वर्ग विशेषकर पिछड़े वर्ग का सहयोग लिया जाय । योजनाओं के निर्माण एवं मलिा और पुरूषों के संगठनों का सहयोग लिया जाय । ये संगठन
युवक क्रियान्वयन में युवक/ मंगल दल, महिला मंडल, पंचायत, सहकारी संस्थाएं, समाज सेवी संगठन आदि हैं । इस प्रकार ये योजनाएं जनता के द्वारा जनता के विकास के लिए तैयार की जाएंगी । इससे जनता पूर्ण रूप से लाभान्वित होगी और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसित होगी ।

ग्रामीण नियोजन के दोष

ग्रामीण नियोजन भी ऊपर के स्तर पर ही होता है जिसका क्रियान्वयन सरकारी तन्त्र के द्वारा गांव स्तर पर किया जाता है । सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करना पड़ता है । जन सहयोग न मिलने के कारण कर्मचारियों को कार्य करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी तन्त्र का कम से कम हस्तक्षेप हो । जिनके लिए कार्यक्रम है, उन्हीं के उत्साह की आवश्यकता है । ग्रामीण नियोजन करते समय क्षेत्रीय साधनों का भी ध्यान नहीं रखा जाता है । सरकारी तन्त्र की अन्तिम कड़ी ग्राम्य विकास अधिकारी पर सभी विभागों के कार्यक्रम को चलाने और उनकी सफलता की जिम्मेदारी आ पड़ती है । इसी कारण वह सभी कार्यक्रमों पर अपना ध्यान कैसे केन्द्रित कर सकता है ? कार्यक्रमों के सरकारीकरण होने से जन सहयोग भी नहीं मिल पाता है । सरकारी कर्मचारियों में त्याग, निस्वार्थ सेवा की भावना की आवश्यकता है । तभी ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को सफलता मिल सकती है और तभी जनता में कार्यक्रमों के प्रति उदासीनता की भावना को दूर करने में मदद मिल सकती है ।

जन सहयोग की आवश्यकता

ग्रामीण विकास की योजनाएं क्षेत्रीय स्तर पर जन सहयोग एवं स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से तैयार की जायं । क्षेत्रीय विकास के किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए जन सहयोग एक अनिवार्य शर्त है । जन सहयोग तभी संभव है जबकि ग्रामीणों को यह विश्वास हो जाय कि जो भी योजनाएं गांव में चलाई जायंगी वे उनके सामाजिक और आर्थिकविकास से सम्बन्धित होंगी और वे उससे होने वाले प्रत्यक्ष लाभ के भागीदार भी होगें । तभी वे कार्यक्रमों में रूचि लेंगे और आवश्यकतानुसार सहयोग दे सकेंगे ।

जन सहयोग योजनाओं को मिलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि योजना बनाने के स्तर पर भी स्थानीय लोगों और संस्थाओं का सहयोग लिया जाय । गांव स्तर पर योजनाएं तैयार करके विकास खण्ड और जिला स्तर पर समन्वित की जायं । यही कारण है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अरबों रूपये खर्च करके भी संतोषजनक सफलता या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाई है । निर्धनता की रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है । स्थानीय लोगों के सहयोग से बनी योजना में मुख्य बात यह होगी कि ग्रामीणों की स्थिति, रूचि, कार्यक्षमता का ध्यान रखकर बनेंगी तो उन योजनाओं को जन सहयोग मिलना बहुत सरल एवं न्यायं संगत होगा । कार्यक्रमों में जन सहयोग न मिलने से कार्यक्रम के परिणाम जल्दी और अच्छे न आ सकेंगे ।

ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के द्वारा प्रयत्न किया है परन्तु ग्रामीण नियोजन की प्रक्रिया मैक्रो स्तरीय ढ़ग से होती रही । सामुदायिक विकास और पंचायती राज इस दिशा में पहला कदम था । अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को सरकारी दृष्टिकोण से ही देखा । इसी कारण यह देखा गया कि उनमें सेवा भावना की कमी रही । कार्यक्रम अधिकारियों और कर्मचारियों बीच उनके निर्देशन में नाचता रहा । इन्होने ग्रामीणों से जन सहयोग

पाने की दिशा में भी प्रयत्न नहीं किया बल्कि ग्रामीण ही इनसे सम्पर्क करते रहे । ग्रामीणों की सरकार पर निर्भर रहने की आदत में प्रबलता आई । कार्यक्रमों के सुचारू रूप से न चल पाने के कारण ग्रामीणों में सरकारी योजनाओं के प्रति अविश्वास प्रकट होने लगा । योजना का क्रियान्वयन सही ढ़ग से नहीं हो पाता है । धन के दुरूपयोग, देरी, भ्रष्टाचार आदि कारणों से याजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता है । ग्रामीणों में इन्हीं कारणों से आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता की कमी व्याप्त हो गई है । इसको दूर करने के लिए ऐच्छिक संस्थाओं के सहयोग से ग्राम स्तरीय योजनाएं तैयार करके जन सहयोग लेने की दिशा में कदम उठाए जाने से ही ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिल सकती है ।

ऐच्छिक संस्थाओं के द्वारा योजनाओं को जन सहयोग मिल सकता है क्योंकि अधिकांशत: यह देखा गया है कि संस्थाओं के सदस्यों में संस्था के प्रति आस्था और निष्ठा अधिक पाई जाती है । साथ ही इसमें स्थानीय लोग होने के कारण वे अपने क्षेत्र के विकास में अधिक दिलचस्पी लेते हैं और जन सहयोग भी इसको जल्दी मिलता है । स्थानीय जनता स्थानीय समस्याओं के बारे में अधिक जानती है और उन समस्याओं के निराकरण में अधिक रूचि ले सकतीहै । परिवारों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान रहता है एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध साधनों की भी जानकारी होती है । क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रम और उनसे उठाए गए लाभ का भी ज्ञान इनको रहता है, इसलिए इनका सहयोग बहुत वांछनीय है । काम करने वाले व्यक्ति के सामने यदि बृहद परिप्रेक्ष्य होता है तो उनको कार्य करने में रूचि, कुशलता और मनोबल सभी बढ़ते हैं । संस्थाओं में निर्देशन, नियंत्रण सुपरवीजन आदि सुव्यवस्थित होने के कारण कार्यक्रमों में अधिक सफलता मिलती है । ग्रामीण नियोजन में पंचायतीराज, सहकारिता, ऐच्छिक संगठनों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है । इस बात की अधिक आवश्यकता है कि इन संगठनों को मजबूत बनाया जाय ।

कार्यक्रम ग्रामीणों पर जबर-दस्ती नहीं लादे जायं । उनकी क्षमता, रूचि को ध्यान में रखा जाय अन्यथा कार्यक्रम थोड़ा चलकर रूक जाएंगे । अफसरशाही ने सामुदायिक विवाद के कार्यक्रमों को पूर्णरूपेण सरकारी बना दिया जिससे जन सहयोग अपंग हो गया । ग्रामीण समाज के विकास के लिए यह एक बड़ा खतरा है साथ ही राजनीतिक नेतागिरी ने भी जन सहयोग को झटका दिया है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जो योजनाएं माइक्रो स्तर पर जन सहयोग से तैयार की जायं, वही उनके बेहतर जीवन के लिए हैं, यह बात ग्रामीणों के हृदय में बैठाना होगा । ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम कैसे हों यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम स्थानीय साधनों पर अधिक आधारित हो और विभिन्न वर्गों को शामिल करता हो - उदाहरण के लिए बायोगैस कार्यक्रम का लाभ केवल आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग ही उठा पाते हैं । गरीब लोगों की यह पहुंच के परे की बात है इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न वर्गों के लोग समूह बनाकर इसका लाभ उठाएं । इसके लिए स्थानीय संस्थाओं का सहयोग अनिवार्य है, वे ही जन सहयोग को उभार कर सामने ला सकती हैं । तकनीकी रूप से भी कार्यक्रम को पूर्ण होना चाहिए । ऐसा देखा गया है कि ग्राम्य विकास अधिकारी ने अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए गांव के सम्पन्न व्यक्ति के यहां बायोगैस प्लान्ट जबरदस्ती लगवा दिए हैं परन्तु कुछ समय के बाद ही वे बन्द कर देते हैं । इससे गांव वाले भी इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को स्वीकार करने में हिचकते हैं और जन सहयोग को ठेस पहुंचाते हैं । लक्ष्य को बढ़ाने के लिए ग्रामीणों के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, इसमें जन सहयोग मिलने की बात तो दूर, अलगाव की भावना बढ़ती है ।

योजना का विकेन्द्रीयकरण [1]

राज्य सरकार मैक्रो स्तरीय नियोजन को माइक्रो स्तर पर लाई है । जिला स्तर पर योजना के विकेन्द्रीयकरण का विचार राज्य सरकार का नया प्रयोग है जो वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ किया गया है । राज्य सरकार के अनुसार

---

[1] वार्षिक योजना, 1983-84 खण्ड प्रथम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश पृष्ठ 99-102.

जो योजनायें पिछले वर्षों में जिले पर तैयार की गई है वे प्रशंसनीय रही हैं । सरकार ने वर्तमान नियोजन का विकेन्द्रीय-करण दो स्तरों पर किया है -

(1) जिला स्तरीय योजनाओं और

(2) राज्य स्तरीय योजनायें

इन दोनों स्तरों पर परिव्यय का विभाजन भी किया गया है जो 30 प्रतिशत जिला स्तरीय योजनाओं पर और 70 प्रतिशत राज्य स्तरीय योजनाओं के लिए रखा गया है । जिलों में इसके विभाजन के लिए जनसंख्या और विकास के स्तरों को सूचक के रूप में प्रयुक्त किया गया है । इस फार्मूले की अपनी विशेषतायें है -

(1) ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों को महत्व मिला है ।

(2) समाज के आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग पर अधिक महत्व दिया गया है ।

(3) सामाजिक और भौतिक संगणक (इन्फ्रास्ट्रैक्चर) के विकास पर ध्यान दिया गया है ।

विकेन्द्रीयकृत योजना को जिला स्तर पर प्रभावशाली ढंग से नियोजन और क्रियान्वयन करने के लिए जिला स्तर पर दो समितियाँ गठित की गई हैं

(1) जिला योजना समन्वय और क्रियान्वयन समिति

(2) जिला योजना सलाहकार समिति

ये समितियाँ योजना के नियोजन और क्रियान्वयन में सहयोग के लिए गठित की गई हैं । यह विचार नया है कि जिला स्तर पर योजना का नियोजन और क्रियान्वयन हो । जिला प्रबन्धकों के लिए यह पहला अवसर है जब उनको नियोजन करने में स्वतंत्रता मिली है । प्रबन्धकों को स्थानीय स्थिति की अच्छी जानकारी होने के कारण नियोजन करते समय सुविधा मिलती है ।

"जिलों" को विकेन्द्रीयकरण नियोजन में ईकाई के रूप में लिया गया है । अभी विकेन्दीयकरण नियोजन अपने शैशव काल में चल रहा है परन्तु फिर भी इस नियोजन में कुछ ऐसी कमियाँ हैं जिनके कारण नियोजन को और अधिक माईक्रो स्तर पर अर्थात गाँव पर केन्द्रित ही करना होगा ।

जिला स्तर पर नियोजन प्रणाली के प्रत्येक पहलू पर भली-भाँति ध्यान दे पाना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जिले स्तर पर समस्या और कार्यक्षेत्र के व्यापक होने के कारण अधिकारियों द्वारा आपेक्षित क्रियान्वयन अत्यन्त कठिन कार्य है ।

जिले स्तर पर विभिन्न विभागों के द्वारा समुचित सहयोग के अभाव में विकेन्द्रीयकृत नियोजन प्रभावित हुआ है । अभी भी राज्य सरकार ने जिलों को पूरे अधिकार नियोजन स्तर पर हस्तान्तरित नहीं किये हैं । इसलिए विकेन्द्रीयकरण नियोजन में आ रही परेशानियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि गाँव को इसकी इकाई मानकर पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के विचार को व्यावहारिकता दी जाय ।

स्थानीय विकास में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका

गाँवों के विकास में सरकार की रूचि दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है न जाने कितनी विकास की योजनाएं ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं । परन्तु इन विकास योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक तो कम पहुंचता है, कार्यक्रम में संलग्न अधिकारी और कर्मचारी तक अधिक । ग्रामीण कार्यक्रम का पूर्ण लाभ उठा सकें, इसके लिए आवश्यकता है कि स्थानीय संस्थाएं नियोजन से लेकर परिणाम तक साथ रहें । उनमें आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता की भावना को उजागर करें ।

सहकारी आन्दोलन की शुरूआत वर्ष 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम के अन्तर्गत की गई जिसका कार्य आसान शर्तों पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था करना था । सहकारिता की कमियों को दूर करते हुए 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया । तत्पश्चात् सहकारी आन्दोलन में बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए 1965 में नया सहकारिता अधिनियम लागू किया गया है । समस्त सहकारी समितियाँ अपने कार्यों का निष्पादन इसी के अन्तर्गत कर रही हैं

सहकारिता विभाग किसानों को सस्ते ऋण की सुविधा के साथ ही साथ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहा है । ग्रामीण अंचलों के निर्बल एवं निर्धन वर्ग जिनकी जनसंख्या प्रदेश की आबादी का 30 प्रतिशत है । इन 30 प्रतिशत में भी 50 प्रतिशत हरिजन एवं जनजाति के हैं । ऋण की सुविधा उपलब्ध होते हुए भी नही ले पा रहे हैं । उनकी आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान" के अन्तर्गत 1983-84 और 1984-85 प्रतिवर्ष 60 लाख रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । ग्रामीण स्तरीय योजनाओं में जिन मुख्य संस्थाओं का सहयोग किया जा सकता है उनका विवरण इस प्रकार है :-

1- <u>सहकारी संस्थायें</u>

ग्रामीण नियोजन में सहकारी संस्थायें भी अच्छी भूमिका निभा सकती हैं । ये संस्थायें ग्रामीणों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर स्वेच्छा से अपनी आर्थिक स्थिति में समृद्धता लाने के उद्देश्य से गठित हुई हैं । नियोजन एवं क्रियान्वन स्तर पर इनका सहयोग महत्व पूर्ण सिद्ध हो सकता है । उत्तर प्रदेश में छठी पंचवर्षिय योजना में सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं । सहकारी आन्दोलन को ग्रामीण स्तर पर तेजी से लागू करने के लिए निम्न व्यवस्थायें सहायक सिद्ध हो सकती हैं -

1- प्राथमिक समितियों को, जो ग्राम स्तर पर कार्य कर रही हैं और अधिक सुदृढ़ बनाया जाय ।
2- कृषि विपणन संगठन को मजबूत बनाने में कृषि सहकारी समितियों का सहयोग लिया जाय ।
3- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उपभोक्ता सहकारी समितियों को और अधिक उभारने की आवश्यकता है ।
4- सहकारी समितियों के द्वारा ऋण सुविधाओं को निर्बल वर्ग को उपलब्ध कराये जाने की प्राथमिकता दी जाय ।

5- सहकारिता को जन आन्दोलन के रूप में लिया जाय । आदि

इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि सहकारिता की संस्थायें ग्रामीणों के बीच उनकी बेहतरी के लिए कार्यरत है इसलिए इनका सहयोग ग्रामीण नियोजन में सफलता पूर्वक किया जा सकता है । जिन क्षेत्रों में ये प्रभावशाली ढ़ग से कार्य कर सकती है या कर रही हैं वे इस प्रकार हैं -

§1§ ऋण व्यवस्था

वर्ष 1983-84 में ग्राम स्तर पर 8607 प्रारम्भिक कृषि साख समितियाँ हैं जो अल्प एवं मध्यकालीन ऋण ग्रामीणों को उपलब्ध करा रही हैं । इन समितियों के द्वारा सदस्यों को फसल उत्पादनार्थ फसली ऋण नकद एवं वस्तु के रूप में दिया जाता है प्रारम्भिक कृषि समितियों के द्वारा वर्ष 1983-84 के अन्त तक 15538.20 लाख रूपये अल्प एवं मध्यकालीन ऋण के रूप में वितरित किये गये ।

जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से बर्ष 1982-83 में 180.20 करोड़ रूपये किसानों को फसली ऋण वितरित किया गया जिसमें क्रमश: 68.89 करोड़ रूपये एवं 90,669 रूपये सीमांत एवं लघु किसानों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया गया । कृषक एवं गैर कृषक सदस्यों को दुधारू पशुओं तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए मध्यकालीन ऋण, गन्नाउत्पादकों को गन्ना ऋण, बुनकरों को उत्पादन ऋण तथा सदस्यों को उपभोग ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है ।

§2§ क्रय-विक्रय योजना -

कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए 253 मंडी स्तरीय क्रय-विक्रय समितियाँ वर्ष 1983-84 में कार्यरत हैं । पर्वतीय क्षेत्र में फल उत्पादकों को उनके फल तथा शाक सब्जी का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से 8 पर्वतीय जनपदों में जनपद स्तरीय सहकारी फल विपणन समितियाँ गठित की गई हैं । इस प्रकार इनका और अधिक विस्तार करके विकास खण्ड या ग्रामों से समूह स्तर पर क्षेत्रीय नियोजन में सहयोग लेने के उद्देश्य से खोली जानी चाहिए ।

§3§ सहकारी भण्डारण योजना -

उर्वरक एवं कृषि उत्पाद वस्तुओं के भण्डारण हेतु व्यापक रूप में गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है । प्रारम्भिक समितियों में गोदाम हेतु विशेष योजना के अन्तर्गत 2508 गोदामों का निर्माण हो चुका है और 860 गोदामों का निर्माण छठी योजना के अन्त तक पूरा कर लेने का लक्ष्य अभी बाकी है । इनका विस्तार और अधिक करने की आवश्यकता है क्योंकि भण्डारण की सुविधा पूरी न होने से कृषकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है ।

§4§ ग्रामीण उपभोक्ता योजना -

ग्रामीणों को आवश्यक वस्तुऐं उचित मूल्य पर सुलभ कराने के लिए उत्तर प्रदेश में "लीड परियोजनायें" बनाई गई हैं इनमें कुछ अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं जैसे मोटा कपड़ा, खाद्य तेल, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, चाय, माचिस, नमक, साईकिल के टायर ट्यूब, टार्च के सेल एवं अभ्यास पुस्तिका को लिया गया है । इन वस्तुओं को समितियों द्वारा संचालित दुकानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा रहा है । एक लीड समिति से 20-25 प्राथमिक समितियाँ सम्बद्ध की जाती हैं दिसम्बर 1983 के अन्त तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा प्रदेश में कुल 400 लीड परियोजनायें संचालित की गई ।

§5§ सार्वजनिक वितरण प्रणाली -

जनवरी 1981 में राज्य सरकार ने आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का दायित्व सहकारी समितियों को सौंपा । यह योजना प्रदेश के मैदानी भागों तक ही सीमित हैं । इसके अन्तर्गत 5000 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों में एक दुकान खोली गई है । वर्ष 1983 के अन्त तक कुल 11301 दुकानें सहकारी समितियों के द्वारा खोली जा चुकी हैं इसमें 9193 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में तथा 2108 दुकानें शहरी क्षेत्र में स्थापित की गई हैं ।

उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से सहकारी समितियां ग्रामीणों में अपना स्थान बनाये हुए है । क्षेत्रीय नियोजन में सहकारी संस्थायें ग्राम स्तर पर पूरा सहयोग कर सकती है । गरीब और निर्बल वर्ग इसका समुचित लाभ नहीं उठा पा रही है । इनका सहयोग अत्यधिक आवश्यक है । जिससे क्षेत्रीय नियोजन करते समय सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिल सके ।

सहकारी आन्दोलन के प्रति गिरती हुई आस्था एवं निष्ठा की भावना को जन मानस में जाग्रत एवं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है । सहकारी समितियों के सदस्यों को आर्थिक कल्याण करने पर बल देने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है । समितियों की निजी पूँजी बहुत सीमित है । समितियों की निजि पूँजी कुल पूँजी के प्रतिशत के रूप में घटती जा रही है वर्ष 1976-77 में जो 15.52 प्रतिशत थी प्रतिवर्ष घटते-घटते वर्ष 1982-83 में 8.57 ही रह गई है । अवशेषों की हालत बहुत गम्भीर है । उदाहरणार्थ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में वर्ष 1971 में ओवर ड्यूज की स्थिति 44.92 करोड़ थी जो वर्ष 1978 में बढ़कर 91.35 करोड़ हो गई । ओवरड्यूज (अवशेषों) की इस बिगड़ती स्थिति के कुछ मुख्य कारण है जो इस प्रकार है -

(1) ऋण का विकास कार्यों से सम्बंध न होना ।

(2) त्रुटि पूर्ण ऋण योजनायें जिसमें कि अधिक ऋण व कम ऋण और अप्रासंगिक ऋण वितरण शामिल है ।

(3) सुदृढ विपणन व्यवस्था का प्रभाव व ऋण का उत्पादों की बिक्री से सम्बद्ध न होना ।

(4) अकुशल प्रबन्ध ।

(5) ऋण का दुरूपयोग

(6) ऋण वसूली की प्रबन्ध समितियों द्वारा उचित व्यवस्था का अभाव ।

(7) सदस्यों में ऋण भुगतान के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का अभाव ।

उपरोक्त कारणों का निराकरण करके ही हम सहकारी आन्दोलन को और अधिक सफल बनाने की ओर अग्रसित कर सकते हैं । सहकारी नेतृत्व भी सामने उभर कर नहीं आ पा रहा है । इससे निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के लोग लाभ उठाने में काफी दिक्कतें उठा रहें है । कर्मचारियों में रूचि का अभाव बढ़ता जा रहा है । ग्राम स्तर पर सहकारी संस्थाओं में ग्रामीण की आस्था घट रही है इसको उभारने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण स्तरीय नियोजन में इनका सहयोग लिया जाय । जहाँ ये संस्थायें नहीं है वहाँ इन संस्थाओं को खोला जाय ।

गांव के स्तर पर युवकों और महिलाओं के कल्याण के लिए युवक मंगल दल और महिला मण्डल कार्यरत हैं । ये संगठन अभी प्रत्येक गांव में नहीं बन पाए हैं । प्रदेश में वर्ष 1982-83 तक 35,220 युवक मंगल दल गठित हो चुके हैं जिनकी सदस्य संख्या 4,61,140 है । आवश्यकता इस बात की है कि ये संगठन मजबूत किए जायं जिससे गांव के विकास की जिम्मेदारी का दायित्व ऐसी संस्थाओं को सौंपा जा सके । अब इन दोनों संगठनों की भूमिका को इस प्रकार देखा जा सकता है -

2- युवक मंगल दल -

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत युवा शक्ति को और अधिक संगठित करके वर्ष 1956 में ग्रामीण क्षेत्रों में युवक मंगल दलों की स्थापना की गई । ग्राम स्तर पर इनका एक छोटा सा संगठन होता है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री व कोषाध्यक्ष के पद होते हैं । प्रत्येक दल में कम से कम 15 सदस्य होने चाहिएं जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए । ये संगठन प्रदेश स्तर तक अपनी कड़ी बनाए हुए हैं । प्रदेश स्तर पर प्रादेशिक युवक समिति का गठन भी इनके सहयोग से ही होता है ।

यह संगठन युवा शक्ति को रचनात्मक कार्य में लगाए रखने का यत्न किए हुए है। इनका मुख्य कार्यक्षेत्र खेल-कूद, बागवानी, ग्राम सुरक्षा श्रमदान आदि रहा है। ग्राम स्तर या क्षेत्रीय नियोजन के समय इनका
सहयोग अनिवार्य है। युवकों के सामने आने से जन सहयोग को अधिक बढ़ावा मिलेगा
का सहयोग सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, स्वास्थ्य और सफाई, कुटीर उद्योगों, कृषि में नयी तकनीकों के प्रयोग में, शिक्षा और विशेष कर प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा में आवश्यक रूप से लिया जाय।

3- महिला मण्डल -

यह संगठन महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यरत है। इसमें 15 से 30 वर्ष तक या इससे अधिक आयु की रूचि लेने वाली महिलाएं/युवतियां इसकी सदस्य हो सकती हैं। इसमें महिलाएं दोपहर में किसी स्थान पर एकत्रित होती हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं में त्याग उत्सर्ग की भावना, कर्मठ जीवन बनाने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। जिससे उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो और वे स्वयं सचेत नागरिक बनें। इसके अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, सहकारिता, सिलाई, बुनाई, फल संरक्षण, कृषि, स्वास्थ्य एवं सफाई, परिवार नियोजन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है और उत्साहित किया जाता है। भजन-कीर्तन,, लोकगीतों के द्वारा मनोरंजन भी होता है। अचार, चटनी, मुरब्बा, चिप्स, पापड़, धूम्र रहित चूल्हा, आदर्श शौचालय, कपड़े धोने का चबूतरा आदि बनाए जाते हैं।

ग्रामीण समाज के उपरोक्त इन दो संगठनों में गांवों की सशक्ततम जनता का प्रतिनिधित्व होने के कारण विकास की गति तीव्र हो सकेगी। तथा सम्पूर्ण ग्रामीण जनता कार्यक्रम से भली-भाँति अवगत होती रहेगी। सरकारी तन्त्र के हस्तक्षेप के बजाय यदि इन संगठनों को विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पहली कड़ी माना जाय तो ग्रामीण उत्पादन व आदर्श सामाजिक संगठन में अनुकूलतम ढंग से उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकती है। इन

संगठनों की कार्यप्रणाली को इस स्तर के बाद ऐच्छिक संस्थाओं व सहकारी संगठनों से जोड़ कर ग्रामीण विकास विनियोजन प्रणाली को अगले स्तरों - जिला, राज्य, केन्द्र तक ले जाने से वर्तमान सभी प्रकार की क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्याओं से सम्भावत: मुक्ति मिल सकेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं उत्पादन के क्षेत्र में अपना योगदान कर रही हैं, उनको नियोजन के प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित करना अत्यधिक आवश्यक है जिससे महिलाओं के कार्यक्रमों को अधिक व्यवहारिक ढंग से नियोजित किया जा सके । इसका एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम और भी सामने आयेगा जो कि बाल विकास के कार्यक्रम से सम्बन्धित है । बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कार्यक्रमों को बनाने में भी महिलाएं ही सबसे उपयुक्त रहेंगी ।

ग्रामीण नियोजन प्रणाली जिसमें ग्रामीण युवक/युवतियों और महिलाओं के कार्य एवं नियोजन के प्रारम्भिक स्तर पर सक्रीय योगदान का प्राविधान है, वर्तमान चली आ रही मैक्रो स्तरीय नियोजन के स्थान पर प्रतिस्थापित करने से व्याप्त असंतोष एवं असफलता को निश्चय ही समाप्त किया जा सकता है ।

उपरोक्त संस्थाओं/संगठनों का सहयोग सफल ग्रामीण नियोजन में कारगर सिद्ध हो सकता है । ग्रामीण विकास को तभी नई दिशा मिल सकती है जब ग्रामीणों का सहयोग स्वेच्छा से हो । इस भावना को उभारने में ये संस्थायें सफल भूमिका निभा सकती है । क्षेत्रीय स्तर से तात्पर्य है जहाँ व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तिगत सम्पर्क में बराबर बने रहते हों । ग्राम/ग्रामों के समूह स्तर पर योजना बनाने से ग्राम वासियों की रूचि भी अधिक स्वभाविक है और वे स्थानीय साधनों की उपलब्धता, श्रम क्षमता आदि के बारे में अधिक जानकार भी होंगे ।

यह तो स्पष्ट ही है कि सभी योजनायें क्षेत्रीय स्तर पर तैयार नहीं की जा सकती है । कुछ योजनायें ऐसी भी है जो विकास खण्ड, जिला एवं प्रादेशिक स्तर पर तैयार करने में अधिक सुविधा रहेगी । ऐसी योजनायें जो क्षेत्रीय स्तर या अन्य स्तरों पर तैयार की जानी चाहिए उनको इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है -

ग्रामीण स्तरीय योजनायें

(1) कृषि एवं कृषि सम्बन्धी
(2) सहकारिता से सम्बन्धी
(3) लघु सिंचाई सम्बन्धी
(4) लघु एवं गृह उद्योग सम्बन्धी
(5) शिक्षा सम्बन्धी (इन्टरमीडिएट तक)
(6) स्वास्थ्य सम्बन्धी
(7) पेय जल एवं जल निकास सम्बन्धी
(8) आवासीय एवं ग्रामीण विकास सम्बन्धी
(9) ग्रामीण सड़के सम्बन्धी
(10) मत्सय पालन सम्बन्धी
(11) पशुपालन सम्बन्धी
(12) अन्य ग्रामीण विकास सम्बन्धी सुविधायें ।

प्रादेशिक स्तरीय योजनायें

(1) विद्युत
(2) वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनायें
(3) वृहत उद्योग
(4) यातायात एवं संचार
(5) अन्य ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है अबतक योजनागत विकास मैक्रो स्तरीय ढंग से ही होता आया है जिससे कि गाँवों में रहने वाली अधिकाँश जनसंख्या अछूती रह गयी है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि योजनागत विकास की पद्धति में आमूल परिवर्तन किया जाय । माइक्रो स्तरीय नियोजन ग्रामीण विकास के लिए सर्वोत्तम सिद्ध हो सकता है क्योंकि इसमें ग्रामीण को भी सहभागी बनाया जाता है । इसमें "ग्राम्य योजना" के माध्यम से ग्रामीणों के प्रत्येक पहलू को बहुत गहनता से देखा जा सकता है । ऐच्छिक संस्थायें जो ग्राम स्तर पर कार्यरत है उनको मजबूत करके योजना के निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तक सहयोग लेकर ग्रामीण नियोजन को माइक्रो स्तरीय नियोजन के नए स्वरूप को उभारा जा सकता है ।